17 6/19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० प्रा० पत्र में प्रार्थी द्वारा अंकित कथन, प्रार्थना पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थी नम्बर 1 के जवाब मय काउंटर प्रा० पत्र, जवाब काउंटर प्रा० पत्र एवं अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब सहित प्रा० पत्र के कथनों एवं अनुतोष के समर्थन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का सम्यक अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रार्थी ग्राम अतालिया की भूमि हाल खसरा नम्बर 358 की भूमि को राजस्व नक्शे में साबिक ख० नम्बर 264 व 265 की दक्षिण सीमा

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज...
	से 24 (चौबीस) मीटर दूर दर्शाई जाने का अनुतोष चाहा गया है। हाल खसरा नम्बर 358 की अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी नम्बर 1 है अर्थात अप्रार्थी नं० 1 प्रकरण की महत्वपूर्ण हितबद्ध पक्षकार है साथ ही साथ द्वितीय हितबद्ध पक्षकार द्वारा भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से रिकार्ड में किसी प्रकार के सुधार पर आपत्ति जाहिर कर विरोध किया गया है।	
	प्रकरण के प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अनुतोष पर हितबद्ध पक्षकार सहमत नहीं है। section 136 L.R. Act 1956 के सुसंगत प्रावधानों में 2 तथ्य अति महत्वपूर्ण है। (1) रिकार्ड में क्लरीकल मिस्टेक होना। (2) उक्त क्लरीकल मिस्टेक को हितबद्ध पक्षकारों की दुरुस्ती बाबत सहमति !	
	प्रकरण में यह भी तय है, कि हाल खसरा नम्बर 358 रकबा 1.22 हेक्टेयर साबिक आराजी नम्बर 266 रकबा 43।।।)2 के भाग 6।।) से ही बना है। प्रकरण में साबिक आराजी नम्बर 266 में हाल खसरा नम्बर 358 की पृथक	

[initials]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
तामील विधिवत रूप से की गई हो तथा खसरा नम्बर 266 (कबा) भा।) का पृथक से नम्बर कायम किया गया हो, ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।	
अर्थात प्रकरण में यह तय नहीं किया जा सकता कि साबिक नक्शा अंश के मुकाबिल हाल नक्शे में महकमा बन्दोबस्त द्वारा अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कोई त्रुटि कारित की हो, जिसका निदान धारा 136 रा० भू० रा० अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत किया जा सके।	
प्रकरण में प्रथम तो अनुतोष प्रार्थी से प्रभावित हितबद्ध पक्षकार सहमत नहीं है, और द्वितीय यदि सहमति भी हो तो भी हाल राजस्व नक्शे में संभावित होने वाली तब्दीली की कोई तजवीज नहीं है।	
प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष को L.R. Act. 1956 की धारा 136 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये दिया जाना यथोचित नहीं पाया जाता है।	
प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रार्थी से वांछित अनुतोष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य	13/2/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	में दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी में वर्णित अनुतोष धारा 136 L.R. Act के तहत जवाब नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णय में गणना की जाकर दाखिल दफ्तर लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/6/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner